

प्रेस नोट                      जनपद                      रामपुर

दिनांक 15.11.2021

twitter-@rampurpolice

FB-रामपुर पुलिस

Telegram-@rampurpolice

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री अंकित मित्तल द्वारा जनपद में गैर जमानती वारण्टी अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 15-11-2021 को रामपुर पुलिस द्वारा 19 वारण्टी अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तगण का विवरण-

- 01-थाना कोतवाली-01
- 02-थाना सिविल लाइन-03
- 03-थाना स्वार-02
- 04-थाना टाण्डा-02
- 05-थाना मिलकखानम-01
- 06-थाना खजुरिया-01
- 07-थाना भोट-01
- 08-थाना मिलक-04
- 09-थाना पटवाई-01
- 10-थाना शाहबाद-03

यातायात रामपुर पुलिस के सहयोग से वाहन चालकों, पी.आर.डी. और होमगार्ड के जवानों के नेत्रों का कराया गया निशुल्क नेत्र परीक्षण

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में यातायात जागरूकता माह नवम्बर-2021 के अवसर पर आज दिनांक 15-11-2021 को रहमानी पेट्रोल पम्प एच.पी. परिसर में यातायात रामपुर पुलिस के सहयोग से डालमिया नेत्र चिकित्सालय रामपुर की टीम द्वारा वाहन चालकों, पी.आर.डी. और होमगार्ड के जवानों तथा यातायात पुलिस कर्मियों का निशुल्क नेत्र परीक्षण किया गया तथा एक्सीडेंट के समय प्राथमिक उपचार के बारे में जानकारी दी गई। प्रभारी यातायात सुमित कुमार द्वारा मौजूद कैंप में सभी वाहन चालकों व कर्मचारीगणों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया गया। वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण नहीं फैलाने के संबंध में भी जागरूक किया गया। डॉ किशोरी लाल मेडिकल डायरेक्टर

और उनकी टीम डॉ मुकेश कुमार, डॉ हारून मौजूद रहे। कुल 40 लोगों ने अपना नेत्र परीक्षण व ब्लड प्रेशर की जांच कराई।

थाना सिविल लाइन:-540 नशीली गोलियों के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

आज दिनांक 15.11.2021 को थाना सिविल लाइन जनपद रामपुर पुलिस द्वारा एक मौहम्मद रफी पुत्र सल्लन निवासी बहपुरा थाना पटवाई जिला रामपुर को बी-अम्मा गेट के पास से मय 09 पत्ते नशीली प्रतिबन्धित Alpraquil 0.5 जिसके एक पत्ते में 60 गोलियां कुल 09 पत्ते में 540 नशीली गोलिया के साथ गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर सिविल लाइन जनपद रामपुर पर मु0अ0सं0 394/2021 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट बनाम मौहम्मद रफी पुत्र सल्लन निवासी बहपुरा थाना पटवाई जिला रामपुर पंजीकृत किया गया ।

थाना बिलासपुर:-40 लीटर नाजायज शराब खाम व शराब बनाने के उपकरण बरामद एक अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 15-11-2021 को थाना बिलासपुर, रामपुर पुलिस द्वारा सतनाम सिंह पुत्र दर्शन सिंह निवासी ग्राम शान्तिनगर मानपुर ओझा थाना बिलासपुर, रामपुर को बिढवा नगला नदी के किनारे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त बिढवा नदी के किनारे अवैध रूप से शराब की भट्टी लगाकर कच्ची शराब का निर्माण कर रहा था। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 40 लीटर नाजायज शराब खाम व शराब खाम बनाने के उपकरण बरामद हुए। इस सम्बंध में थाना बिलासपुर, रामपुर पर मु0अ0सं0-414/21 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।